भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 121
जिसका उत्तर गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालयों में दोषसिद्धि दर में गिरावट

121. श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सहित देश की त्वरित न्यायालयों में दोषसिद्धि दर 2023 की तुलना में 2024 में घटी है ;

(ख) त्वरित न्यायालयों में दोषसिद्धि दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषसिद्धि दर में गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(घ) त्वरित न्यायालयों में मानव संसाधनों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु त्वरित न्यायालय (एफटीसी) संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। इस संबंध में, 14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015–2020 की अवधि के दौरान विशिष्ट श्रेणी के मामलों, जिनमें जघन्य अपराध, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित दीवानी मामले तथा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामले शामिल हैं, के त्वरित विचारण हेतु 1800 त्वरित न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की थी। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.12.2025 तक 22 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 879 एफटीसी क्रियाशील हैं। चूंकि त्वरित न्यायालयों का प्रशासन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है और इनका वित्तपोषण राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा केंद्र सरकार की किसी सहायता के बगैर किया जाता है,

अतः विभाग के पास एफटीसी में विशेष रूप से दोषसिद्धि दर के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दोषसिद्धि की दरें एफटीसी के संस्थागत ढांचे से परे कई परस्पर संबंधित कारकों पर निर्भर करती हैं। इन कारकों में जांच की गुणवत्ता, मामले में शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता तथा हितधारकों अर्थात बार, जांच एजेंसियों, विधिक प्रतिनिधित्व, न्यायालयिक सहायता, साक्षियों और वादियों का सहयोग शामिल हैं। अतः दोषसिद्धि दरें आवश्यक रूप से न्यायालय के प्रदर्शन का प्रतिबिंब नहीं हैं और इन्हें समग्र रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें पुलिस, न्यायालयिक प्रयोगशालाओं और वकीलों सहित दंड न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को ध्यान में रखा जाए। न्यायालय विधि के अनुसार न्याय देने के लिए अधिदेशित हैं, जिसमें अभियुक्तों का दोषमुक्ति भी शामिल हो सकता है।

(घ) : न्यायालयों में न्यायाधीशों/अभियोजकों और कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों सहित त्वरित न्यायालयों (एफटीसी) में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों का उत्तरदायित्व है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती एवं नियुक्ति से संबंधित नियम बनाती है।

****